सं0सं0—9/आ0—04—24/2023 511(9) 22.05.25

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सिविल सर्जन, खगडिया के पत्रांक—38 दिनाक—06 01.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा0 अनुप जॉन सोरेन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगडिया (जन्म तिथि—24 12.1977) दिनांक—23.03 2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

2. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए डा0 सोरेन के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय सकल्प सं0—524(9) दिनांक 17.05.2023 के द्वारा विभागीय कार्यवाही [illegible] पत्रांक—200(9) दिनांक [illegible] 02.2024 [illegible] द्वितीय कारण।—पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति मे दिनांक—12 06.2024 को दैनिक समाचार पत्र मे प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए भी उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अन्तत द्वितीय कारण—पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने के कारण सक्षम प्राधिकार द्वारा डा0 सोरेन को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने हेतु शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

3. उक्त शास्ति प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्राक—15 दिनांक—01 04 2025 द्वारा आयोग की सहमति एव दिनाक—16.05.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक मे मद संख्या—35 पर मत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

4. तदनुसार डा0 अनुप जॉन सोरेन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगडिया को दिनाक—23 03 2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप म सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेशः—संकल्प की प्रति डा0 अनुप जॉन सोरेन एव सभी सबधितो को निबधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
22/05/2025
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः—9/आ0—04—24/2023(स्वा0) 511(9)/ **पटना, दिनांकः** 22.05.25

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय अपर—निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुगेर प्रमडल, मुंगेर/सिविल सर्जन, खगडिया/सबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—डा0 अनुप जॉन सोरेन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगडिया को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15)

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमडल सचिवालय विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2,3,5,7,8,10, 17 एव 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

~~प्रतिलिपि:—~~ [illegible]

[illegible] अवर [illegible]।